संख्या– 612 /11–6–2017–एम(43)/17

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
मनोरंजन कर, उ0प्र0
लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊः दिनांक 09 अगस्त, 2017

विषयः **जनोपयोगी एवं बहुमूल्य संदेश देने वाली फिल्मों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जनोपयोगी एवं समाज के लिये पथ–प्रदर्शक एवं सार्थक सन्देश देने वाली फिल्मों का प्रदर्शन समय–समय पर होता रहता है और ऐसी फिल्मों को कम टिकट दरों पर दर्शको को उपलब्ध कराये जा सकने पर समाज के अधिकांश हिस्से तक इन्हें प्रसारित किये जाने में मदद मिलेगी तथा अपेक्षित संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सकता है। ऐसी फिल्मों पर जब तक दर्शकों को टिकट मूल्य में राहत नहीं दी जायेगी, तब तक जन–सामान्य में अपेक्षित संदेश पहुँचाये जाने में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। इसी उद्देश्य से पूर्व में राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–11 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों को जनहित में मनोरंजन कर से छूट प्रदान किये जाने हेतु कतिपय शासनादेश जारी किये गये थे।

2. उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के दिनांक 01.07.2017 से प्रभावी होने के फलस्वरूप मनोरंजन कर, माल और सेवा कर में संविलीन हो गया है। उ0प्र0 माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा–174 द्वारा उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 को निरसित कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट प्रदान किये जाने वाले समस्त शासनादेश स्वमेव निष्प्रभावी हो गये हैं। अब फिल्मों पर कोई भी कर छूट प्रदान करने की शक्ति, उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 11 की उपधारा (1) एवं (2) के अंतर्गत जी.एस.टी परिषद में निहित है, परन्तु यदि राज्य सरकार किसी फिल्म के प्रदर्शन को अपेक्षाकृत कम टिकट

...2

मूल्य पर दर्शको को उपलब्ध कराना चाहती है, तो वह सम्बंधित सिनेमाघरों को उनके द्वारा दर्शकों से बिना वसूल किये, जमा कराये गये राज्य माल और सेवा कर की प्रतिपूर्ति कर सकती है।

3. उक्त प्रस्तर–2 में अंकित प्रतिपूर्ति की सुविधा निम्नलिखित श्रेणी की फिल्मों को प्रदान की जा सकती है :–

(1) द चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्मित अथवा अधिग्रहीत फिल्म।

(2) भारत सरकार से राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म।

(3) अर्न्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म।

(4) भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म।

(5) समाज कल्याण पर आधारित फिल्म जिसका 75 प्रतिशत भाग परिवार नियोजन परं ही हो।

(6) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपक्रम अथवा एन.एफ.डी.सी. एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देश्य पूर्ण फिल्में,जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हो।

(7) अन्य लोकहित की जनोपयोगी, समाज के लिये पथ–प्रदर्शक एवं सार्थक संदेश देने वाली ऐसी फिल्में, जिनका अधिकांश दर्शकों द्वारा देखा जाना सार्वजनिक हित में आवश्यक हो।

(8) ऐसी फिल्में, जिनका प्रदेश में 50 प्रतिशत से अधिक फिल्मांकन किया गया हो।

4. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर–3 में अंकित श्रेणियों में आने वाली फिल्मों, जिनका चयन सरकार द्वारा किया जाये, में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर, जिसे सिनेमाघरों द्वारा, दर्शकों से वसूल किये बिना, अपने पास से राजकोष में जमा किया गया है, के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी :–

(1) राज्य माल और सेवा कर से प्रतिपूर्ति किये जाने के लिये फिल्म निर्माता/वितरक विभाग द्वारा संलग्न प्रपत्र में आवेदन–पत्र संपूर्ण आवश्यक सूचना के साथ प्रस्तुत करेंगे।

(2) प्रस्तुत सूचना के आधार पर फिल्म लोकहित के अन्तर्गत पात्रता क्षेत्र में आती है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

...3

(3) निर्माता द्वारा संदर्भित फिल्म की डी0वी0डी0 अथवा अन्य उपयुक्त इलेक्ट्रानिक डिवाईस के रूप में मनोरंजन कर आयुक्त के पास जमा की जायेगी।

(4) फिल्मों के चयन हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति के समक्ष फिल्म का पूर्व–प्रदर्शन कराया जायेगा–

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना विभाग।

(ग) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग।

(घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग।

(घ) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।

(च) मनोरंजन कर आयुक्त।

(छ) मुख्य सचिव, यदि आवश्यक समझें, तो अपने विवेक से उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य एक या दो ऐसे अधिकारियों को नामित कर दें, जो इस क्षेत्र में बिशेष रूचि/अनुभव रखते हों।

(5) उपरोक्त सदस्यों में से यदि एक तिहाई सदस्य भाग लेते हैं, तो कोरम पूरा माना जायेगा। फिल्म के पूर्व प्रदर्शन में यदि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव स्वयं न उपस्थित हो सकते हों, तो उन्हें अपने विभाग के विशेष सचिव से अनिम्न पंक्ति के अधिकारी को नामित करने का अधिकार होगा। समिति की संस्तुति पर निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा। समिति के समक्ष किसी भी फिल्म का पूर्व प्रदर्शन कराने का निर्णय आवश्यक परीक्षणोपरान्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग द्वारा लिया जायेगा।

(6) इस नीति से आच्छादित फिल्मों के प्रदर्शन के लिये सम्बंधित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स की प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न क्लासों के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

(7) प्रदेश में, इस नीति से आच्छादित किसी फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट–वीक की समय सीमा के अधीन इस प्रकार किया जा सकेगा कि फिल्म की संख्या एवं सप्ताह की संख्या का गुणाक 200 प्रिंट/स्क्रीन वीक से अधिक नहीं होगा। इस सम्बंध में स्पष्ट करना है कि यदि प्रदेश में 200 प्रिंट द्वारा फिल्म का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की अवधि एक सप्ताह के लिये होगी। यदि प्रिंट की संख्या को कम किया जाता है तो उसी अनुपात में सप्ताह की संख्या बढ़ जायेगी किंतु उक्त सीमा 200 प्रिन्ट वीक से अधिक नहीं होगी एवं उपभोग की पूरी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

...4

(8) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों को इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के दौरान, एस.जी. एस.टी की धनराशि को घटा कर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।

(9) ऐसी फिल्मों में आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को, मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों द्वारा अपने पास से, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी, जैसे इस नीति के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।

(10) उपरोक्तानुसार राजकोष में जमा राज्य माल एवं सेवा कर को, संबंधित मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर के स्वामियों को प्रतिपूर्ति सुसंगत लेखा शीर्षक में आय–व्ययक व्यवस्था होने के बाद की जायेगी। वित्तीय स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत की जा सकती है।

कृपया तद्नुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संलग्नक :–यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या – 612 (1)/11–6–17–एम (43)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
3. सूचना अनुभाग–2
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
विशेष सचिव।

राज्य माल और सेवा कर से प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु आवेदन–पत्र का

प्रारूप

1. फिल्म का नाम जिसके लिए राज्य माल और सेवा कर से प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु आवेदन किया जा रहा है– .....
2. सेंसर बोर्ड द्वारा, चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा–5(क) के अन्तर्गत फिल्म को किस श्रेणी हेतु प्रमाणीकृत किया गया है (U/UA/A/S)। .....
3. फिल्म निर्माता का नाम/पता– ..... दूरभाष नं0/ई–मेल आई0डी0– .....
4. फिल्म वितरक का नाम/पता– ..... दूरभाष नं0/ई–मेल आई0डी0– .....
5. फिल्म के मुख्य पात्रों के नाम– .....
6. फिल्म की पटकथा सारांश में– .....
7. फिल्म में समाज के लिए कौन सा पथ–प्रदर्शक एवं सार्थक संदेश अन्तर्निहित है, संक्षिप्त विवरण .....
8. प्रदेश में फिल्म का छायांकन हुआ है अथवा नहीं? यदि हुआ है तो प्रदेश में कितना प्रतिशत छायांकन हुआ है? .....

(निर्माता/वितरक के हस्ताक्षर)